

वेधमन अमर (पंजाब) लि.
लॉकरनी कानून अमर
T.J 18/2015

16/12/2021

पत्रावली पेश हरी वकील अमर
दालिय पत्रा-पुनर्विवाह कानून दि. 31/01/22 के
पेश हों

7/01/22

पत्रावली पेश हरी वकील अमर
पत्रा-पुनर्विवाह कानून के लिखित अमर
पेश की नकल की गयी पत्रावली वास्ते
जवाब दि. 28/01/2022 के पेश हों

28/01
पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक...7/1/22...
को पेश हों।

7/4/2022

पत्रावली पेश हरी वकील अमर
पत्रा-पुनर्विवाह कानून के लिखित अमर
पेश की गयी। वकील अभिभाषक की
अमर की गयी। पत्रावास्ते आदेश
दि. 22/4/2022 के पेश हों

22/04/2022

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हरी
आपदन पेश होने पर अभिभाषकगण के
परिषद मोदील तलब किया गया। अभिभाषक
उताउ थापण्डू ललित अग्रपक्षित 28/04/22

कि उद्योगों के दावा पर किया गया है
 कि उद्योगों के आधार पर राज्य
 कि उद्योगों के लिए किया जाना है - यदि
 विवाह प्रकरण में प्राथमिक अथवा स्थानिक
 के उद्योगों पर अधिकारों के लिए कि उद्योगों
 को देना वाद पर किया है - यदि प्राथमिक के
 परम के प्रथम दृष्टया मांगों के सुविधा
 के संलग्न मांगों के तथा विवाहित आराजिक
 की तथा स्थिति नहीं कि उद्योगों के अपूरणीय
 क्षति भी प्राथमिक के होती। अतः प्राथमिक
 का स्थान आवेदन स्थिति पर विवाहित

आराजिकता सं. नं. (प्राथमिक) 183/2, 8, 30
 एवं 239 व नवीन सं. नं. 14, 40, 1108/52
 व 499 किता 4 तक संख्या 7-75 है
 यदि प्राथमिक पक्षों का तद्वर्ती चोप के संबंध
 में अत्राधीन। ताउ के परिणाम अस्थायी
 निवेद्यता पावन्य किता जात है कि ताद्वर्ती
 दावा विवाहित आराजिकता सं. नं.

14, 40, 1108/52 व 499 किता 4-संख्या
 7-75 है तब प्राथमिक पक्ष पक्षों का तद्वर्ती चोप सी
 की अस्थायी सं. नं. की तथा स्थिति अत्राधीन
 परसे। अत्राधीन के न के। प्राथमिक के अत्राधीन
 होकर अत्राधीन के अत्राधीन दावा किता 4-संख्या है।
 निवेद्यता सं. नं. - आराजिकता के अत्राधीन

सहाराय कलापदर (द्वितीय) सी. नं.